# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 144/2018

सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

दर्शन सिंह पुत्र श्री पालसिंह जाति जट सिख निवासी चक 13 एफ बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– :: उपस्थिति अभिभाषकगण :: –

1. पैरोकार राज — प्रार्थी
2. श्री हंसराज अधिवक्ता — अप्रार्थी

दिनांक :– 13 सितम्बर, 2019

## – :: निर्णय ::–

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के नाम के कि चक 13 एफ बडा के खाता संख्या 25 के. मु.नं. 29के किला नं. 21/1=0. 228 हैक0 नहरी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है (जमाबन्दी की प्रति संलग्न है)। उक्त खातेदारी भूमि मे से चक 13 एफ बडा के खाता सख्या 25 के. मु.नं. 29 के किला नं. 21/1=0.228 हैक0 कृषि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर प्लाट काटकर/मकान बनाकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है। उक्त अराजी काबिले–काश्त है केवल मात्र कृषि कार्य के लिए दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से संपरिर्वन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये मोके पर अकृषि कार्य में उपयोग की जा रहा है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि कार्य में उपयोग लेना गैर कानूनी है। चक 13 एफ बडा के खाता सख्या 25 के. मु.नं. 29 के किला नं. 21/1=0.228 हैक0 कषि भूमि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मटीली राठान के अनुसार बिना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

स्वीकृति/संपरिर्वतन कराये अकृषि उपयोग मे किया जा रहा है, रिपोर्ट पटवारी संलग्न है। दावा राज हित मे है इसलिए कोर्टफीस देय नही है, रकबा राजहित मे सिवाय चक घोषित किया जावे ।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी को विधिवत तामिल होनें के पश्चात अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर कथन किया कि भूमि का मौके पर अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। इस भूमि को रकबा राज किया जाता है, मुझे कोई एतराज नहीं है।

अप्रार्थी द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किये जानें के कारण प्रकरण में पैरोकार राज की बहस को सुना गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली पत्रावली अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 13 एफ बडा के खाता सख्या 25 के. मु.नं. 29 के किला नं. 21/1=0.228 हैक0 भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिंनाक 13 सितम्बर, 2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर